मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल -462004

क्रमांक एफ-25-17/2011/10-3 भोपाल, दिनांक: 6-फरवरी, 2014

प्रति,

1. समस्त वन मण्डलाधिकारी, सामान्य/उत्पादन (पदाभिहित अधिकारी)
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, सामान्य वृत्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषय:- सेवा क्रमांक 10.4- मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश।

सन्दर्भ:- म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लो.से.प्र./पी.एस.जी.-10 दिनांक 10.04.2013

------:0:------

1. सेवा का उद्देश्य - इस सेवा का उद्देश्य स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को समय-सीमा में किया जाना है।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा - इस सेवा के लिए वन मण्डल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे एवं इसके लिए समय-सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गयी है -
   - (i) शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवस।
   - (ii) प्रथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस।

3. आवेदन का प्रारूप - भूमि स्वामी को अपनी भूमि से संबंधित काष्ठ विक्रय हेतु दो विकल्प हैं-

<u>विकल्प 1 - वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय</u>

(क) आवेदक अपने भू-स्वामित्व की काष्ठ को <u>वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों</u> पर वन विभाग को विक्रय कर सकता है। इसके लिए आवेदक को डिपो में काष्ठ पहुँचने के तत्काल बाद परिशिष्ट-1 में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है।

<u>विकल्प 2 - प्रथक लॉट बनवाकर विक्रय</u>

(ख) आवेदक अपने भू-स्वामित्व की काष्ठ को वन विभाग के डिपो में अपनी काष्ठ का <u>प्रथक से लॉट बनवाकर</u> विक्रय कर सकता है। प्रथक से लॉट बनवाकर विक्रय का विकल्प चुनने पर आवेदक को परिशिष्ट-2 में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्न में से कोई एक विकल्प दिया जाएगा :-

- (अ) अगर भूमिस्वामी अपने काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी के साथ अनुबंध पत्र (अ) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (ब) अगर भूमिस्वामी काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य स्वयं निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी के साथ अनुबंध पत्र (ब) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

4. पात्रता की शर्तें - मालिक-मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं-

(i) आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुका हो।

(ii) प्रथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली हो चुकी हो।

5. आवश्यक दस्तावेज -

(i) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात् जारी डिपो आमद रसीद।

(ii) प्रथक लॉट बनाकर विक्रय की स्थिति में अनुबंध पत्र (अ) अथवा (ब)।

(iii) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षक (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

(iv) संयुक्त भू-स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू-स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने बावत पत्र।

6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिए कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका-5 में दर्शाए अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (वन मण्डल अधिकारी) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धरा 5(1) के अंतर्गत "परिशिष्ट 3" में दी जावेगी।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जाएगा परन्तु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।

6.4 आवेदन लेते समय आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी यथासंभव कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (संलग्न परिशिष्ट-4) में किया जायेगा।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा तथा आवेदक को सेवा प्रदाय की सूचना परिशिष्ट-5 में दी जावेगी।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धरा - 5(2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए, सूचना परिशिष्ट-6 में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

7.1 सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाएगा एवं सॉफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।

7.3 ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा माह के प्रथम सोमवार (अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गए दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।

7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन का ऑनलाइन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु समय सीमा में आवेदन का निराकरण करेगा।

7.7 सेवा प्रदाय की सूचना आवेदक को संलग्न परिशिष्ट-5 में दी जायेगी, जो कि लोक सेवा केन्द्र द्वारा सॉफ्टवेयर से निकाले गए प्रिन्ट आउट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।

7.8 यदि कतिपय कारणों से मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलग्नित परिशिष्ट-6 में पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजिटल रिपोजटरी, वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित अधिकतम समय-सीमा में ही सम्पादित की जाएगी।

7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजिटली साईन रिपोजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जाएगा एवं प्रमाण-पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा-

“प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकला गया है।”

हस्ताक्षर
लोकसेवा केन्द्र संचालक

8. सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया -

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

8.3 शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने पर डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवस एवं प्रथक लॉट का विकल्प चुने जाने पर विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर राशि का भुगतान आवेदक भूमि स्वामी को किया जायेगा।

8.4 भूमि स्वामी द्वारा प्रथक लॉट बनाकर काष्ठ विक्रय का विकल्प दिए जाने पर वनमंडल अधिकारी द्वारा आवेदक को नीलाम की तिथि की सूचना दी जायेगी साथ ही काष्ठ का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर पुनः सूचना प्रेषित की जायेगी।

8.5 भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली भुगतान की राशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में ई-पेमेंट/डी.डी./चेक के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।

9. शुल्कः- इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रु. 30/- जमा करना होगा।

10. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मालिक मकबूज़ा प्रकरण में भुगतान से संबंधित जारी परिपत्र क्र.-एफ 25-17/2011/10-3 दिनांक 24.12.11 को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जाये।

11. अपील- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा-

1. आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

2. आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेगी-

1. प्रथम अपील- प्रथम अपील क्षेत्रीय वन संरक्षक को आवेदन नामंजूर होने की तारीख़ से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील अधिकारी 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।
2. द्वितीय अपील - प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील ऐसे आदेश की तारीख़ से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार 6 परिशिष्ट तथा अनुबंध (अ) तथा (ब) के प्रारूप।

(प्रशांत कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन एफ - 25-17/ 2011/ 10-3 भोपाल, दिनांक: 6-फरवरी, 2014

प्रतिलिपि -

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 - भूमिस्वामी द्वारा अपनी काष्ठ का शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासन को विक्रय करने के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल ....

विषय - स्वयं की काष्ठ का शासन द्वारा स्वीकृत दर पर शासन को विक्रय करने के सम्बन्ध में।

-----0-----

1. मैं श्री/श्रीमती .... आत्मज/पत्नी श्री .... भूमिस्वामी खसरा क्रमांक .... पटवारी हल्का नम्बर .... ग्राम .... जिला .... अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन को, शासन द्वारा निर्धारित दर पर करना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैं डिपो में काष्ठ के पुनर्मापन एवं ग्रेडिंग से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।
3. मैं वन विभाग द्वारा हस्तन व्यय तथा देय समस्त प्रकार के कर इत्यादि की वसूली करने हेतु पूर्ण सहमति व्यक्त करता/करती हूँ।
4. मैं म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति की श्रेणी में आता हूँ/नहीं आता हूँ।

5. आवेदक का बैंक खाता नम्बर - ....
   बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नं. - ....

6. इस आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं-
   (i) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात् जारी डिपो आमद रसीद।
   (ii) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है, तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।
   (iii) संयुक्त भू-स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू-स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने का वैधानिक पत्र।

स्थान -
दिनांक - हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी
दूरभाष क्रमांक -

परिशिष्ट-2

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.4 - भूमिस्वामी द्‌वारा अपनी काष्ठ का प्रथक लाट लगाकर बिक्री के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल..

विषय - स्वयं की काष्ठ का प्रथक लाट लगाकर बिक्री करने के सम्बन्ध में।

1. (अ) मैं श्री/श्रीमती .... आत्मज/पत्नी श्री .... भूमिस्वामी खसरा क्रमांक .... पटवारी हल्का नम्बर .... ग्राम .... जिला .... अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन के काष्ठागार में पृथक लाट लगवाकर वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया अनुसार अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करवाना चाहता/चाहती हूँ।

अथवा

(ब) मेरे उक्त लाट का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रथम नीलाम हेतु रूपये .... तथा द्‌वितीय नीलाम एवं आगामी नीलामों हेतु रूपये .... निर्धारित किया जाये।

2. बिंदु क्रमांक 1 (अ) और 1(ब) के सन्दर्भ में शासन द्‌वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रारूप 'अ'/'ब' में अनुबंध निष्पादित करना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
3. मैं शासन द्‌वारा नीलाम हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करूँगा/करुँगी तथा नीलाम पद्धति से जुडी समस्त मुझे मान्य रहेगी।
4. समस्त कर एवं व्यय की कटौतियों के उपरांत शेष बचने वाली राशि को मैं अपनी काष्ठ के शुद्ध मूल्य के रूप में प्राप्त करने मात्र का हकदार रहूँगा/रहूँगी तथा इस बात की भी सहमति देता/देती हूँ कि पृथक लाट बनाकर बिक्री करने की दशा में मुझे लाट की राशि का भुगतान क्रेता से विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के उपरांत ही किया जावे।
5. इस आवेदन के साथ विभाग द्‌वारा निर्धारित निम्निलिख्त दस्तावेज संलग्न है:-
   - (i) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात् जारी डिपो आमद रसीद।
   - (ii) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है, तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।
   - (iii) संयुक्त भू-स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू-स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने हेतु लेख।
   - (iv) निर्धारित अनुबंध पत्र (अ)/(ब)।

स्थान -
दिनांक - हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी
दूरभाष क्रमांक -

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.4 - भूमिस्वामी द्वारा उसकी काष्ठ का प्रथक लॉट बनाकर तथा वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया द्वारा काष्ठ विक्रय की सहमति की स्थिति में भूमिस्वामी एवं वन विभाग के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र)

//अनुबंध पत्र - (अ)//

यह अनुबंध आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को श्री/श्रीमती .... आत्मज/पत्नी .... (जिसे इसके बाद “भूमिस्वामी” कहा गया है) एवं .... वनमंडल के भार साधक अधिकारी .... वनमंडल के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया-

i. यह कि भूमिस्वामी द्वारा, खसरा नम्बर .... की अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन सक्षम अधिकारी .... द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन किया गया है।
ii. यह कि श्री/श्रीमती .... अपनी काष्ठ का निर्वतन, प्रथक लॉट बनाकर वन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विभागीय प्रक्रिया से अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करना चाहता/चाहती है।
iii. उपरोक्त शर्त पप के अधीन विक्रेता (भूमि स्वामी) को विभागीय प्रक्रिया अनुसार विभाग को प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य में से विक्रेता (भूमि स्वामी) द्वारा शासन को देय समस्त करों तथा प्रति घ.मी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित हस्तन व्यय के रूप में तथा अन्य विभागीय व्यय को घटाए जाने के उपरांत शेष राशि पाने की पात्रता होगी।
iv. भूमिस्वामी द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता द्वारा देय करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय करों) पर भूमिस्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।
v. भूमिस्वामी के काष्ठ विक्रय उपरांत क्रेता की जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की गयी राशि की सीमा तक)भुगतान की पात्रता होगी।
vi. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमिस्वामी के जोखिम पर ही सम्पादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण से मूल्य में गिरावट, बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
vii. भूमिस्वामी चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकित कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।
viii. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।
ix. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/भूमिस्वामी /क्रेता, संबंधित वन मण्डल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

आज दिनांक .... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध पत्र निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता	शासन की ओर से
हस्ताक्षर भूमिस्वामी	हस्ताक्षर
नाम	वनमंडल के भार साधक अधिकारी
निवास का पूरा पता	....
....	वनमंडल ....
....	जिला ....
उस ग्राम का नाम जहाँ प्रश्नाधीन खसरा स्थित है	

नाम गवाह 1	नाम गवाह 2 ....
स्थाई पता	स्थाई पता ....
....	....

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.4 - भूमिस्वामी द्वारा उसकी काष्ठ का प्रथक लॉट बनाकर तथा भूमिस्वामी द्वारा अवरोध मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में भूमिस्वामी एवं वन विभाग के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र)

//अनुबंध पत्र - (ब)//

यह अनुबंध आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को श्री/श्रीमती .... आत्मज/पत्नी .... (जिसे इसके बाद "भूमिस्वामी" कहा गया है) एवं .... वनमंडल के भार साधक अधिकारी .... वनमंडल के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया-

i. यह कि भूमिस्वामी द्वारा, खसरा नम्बर .... की अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन सक्षम अधिकारी .... द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन किया गया है।

ii. यह कि श्री/श्रीमती .... अपनी काष्ठ का प्रथक लॉट बनाकर प्रथम नीलाम हेतु रुपये .... तथा द्वितीय एवं उसके बाद के नीलाम हेतु रुपये .... अवरोध मूल्य निर्धारित कर निर्वतन करने की सहमति दी है।

iii. उपरोक्त शर्त (पप) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा निर्धारित मूल्य पर काष्ठ विक्रय होने की स्थिति में, विभाग द्वारा, भूमिस्वामी द्वारा निर्धारित काष्ठ मूल्य पर प्रति घ.मी. शासन द्वारा निर्धारित अन्य व्यय के अलावा हस्तन व्यय की राशि भी वसूली जावेगी, जोकि काष्ठ के विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि से काट कर अवशेष राशि भूमिस्वामी को भुगतान की जावेगी। भूमिस्वामी को अधिकार होगा कि वह अपनी काष्ठ के पूर्व निर्धारित मूल्य को प्रथम नीलाम उपरांत परिवर्तित कर सके। इस हेतु भूमिस्वामी को संबंधित वनमंडल के भार साधक अधिकारी को लिखित में (परिशिष्ट-2) आवेदन करना होगा।

iv. भूमिस्वामी द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता से वसूलनीय करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय कर) पर भूमिस्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।

v. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय करने के उपरांत क्रेता की जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की गयी राशि की सीमा तक)भुगतान की पात्रता होगी।

vi. भूमिस्वामी को हक होगा कि वह उसके द्वारा उत्पादित काष्ठ को काष्ठागार में लाने के उपरांत, विभागीय नियमों के अधीन/या अपने प्रतिनिधि के समक्ष में मापन क्रिया पूर्ण कराने के उपरांत, काष्ठागार में काष्ठ विक्रय की शर्त (पप) के अधीन माप वार अलग-अलग या इकट्ठा लॉट बना सकेगा।

vii. शर्त अप के अधीन प्रक्रिया में आने वाला व्यय, भूमिस्वामी स्वयं वहां करेगा या विभाग द्वारा संपन्न कराये जाने पर भूमि स्वामी की काष्ठ के विक्रय मूल्य से वसूल करने का विकल्प विभाग के पास होगा।

viii. भूमिस्वामी की काष्ट का विक्रय काष्ठागार में, भूमिस्वामी के जोखिम पर ही सम्पादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण से मूल्य में गिरावट, बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

ix. भूमिस्वामी चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकित कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।

x. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

xi. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/भूमिस्वामी /क्रेता, संबंधित वन मण्डल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

आज दिनांक .... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध पत्र निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता

हस्ताक्षर भूमिस्वामी

नाम ....
निवास का पूरा पता ....
....
....
उस ग्राम का नाम जहाँ प्रश्नाधीन खसरा
स्थित है ....

शासन की ओर से

हस्ताक्षर

वनमंडल के भार साधक अधिकारी ....
....
वनमंडल ....
जिला ....

नाम गवाह 1 ....
स्थाई पता ....
....

नाम गवाह 2 ....
स्थाई पता ....
....

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 - मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

धारा 5(1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता (मोबाईल नं. एवं इमेल आईडी) - ______________________
____
____

2. आवेदक का नाम एवं पता - ______________________
____
____

3. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक - ______________________

4. विकल्प जिसके लिए आवेदन दिया गया है - ______________________

5. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गए हैं - ______________________
____
____

6. सेवा प्रदाय हेतु निश्चित की गयी समय-सीमा की आखिरी तारीख ______________________

स्थान ....
दिनांक ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः- आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में इस अभिस्वीकृति के बिंदु-6 में समय सीमा की आखिरी तारीख़ दर्ज नहीं की जाएगी।

परिशिष्ट-4

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 - मालिक मकबूज़ा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिए आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख़	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिशिष्ट-5

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.4 - मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

सेवा प्रदाय की सूचना का प्रारूप

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय / उत्पादन वन मण्डल, ...

क्रमांक/ दिनांक:

प्रति

....

....

....

विषय :- भूमिस्वामी काष्ठ के मूल्य के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र।

सन्दर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक ....

-----0-----

भूमिस्वामी काष्ठ के मूल्य के भुगतान हेतु दिए गए आपके संदर्भित आवेदन पत्र के निराकरण उपरांत प्रकरण से संबंधित काष्ठ के मूल्य के भुगतान के रूप में रुपये .... का धनादेश / डी.डी. क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न प्रेषित है/ राशि रु. .... आपके बैंक खाता नम्बर .... में ई-पेमेंट द्वारा जमा करा दी गयी है।

(पदाभिहित अधिकारी)

वन मण्डल अधिकारी

....

(उत्पा./सा.) वन मण्डल

जिला ....

म.प्र.

परिशिष्ट-6

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 - मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

आवेदन नामंजूर होने के स्थिति में आवेदक को दी जाने वाली सूचना का प्रारूप

(धारा 5(2) के अंतर्गत)

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी .... (उत्पादन / सामान्य)

वन मण्डल जिला, ...म.प्र.

क्रमांक/ .... दिनांक : ....

प्रति,

....

....

....

विषय :- मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान

सन्दर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक ....

1. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान हेतु प्राप्त आपका आवेदन पत्र विचारोपरांत निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया गया है -

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

2. यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री .... पद .... प्रथम अपील अधिकारी .... (दूरभाष क्रमांक : ....) के समक्ष इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

(पदाभिहित अधिकारी)

वनमंडल अधिकारी

....

(उत्पा./सा.)वन मण्डल

जिला ....

म.प्र.